

कार्यालय,
संघिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
लखनऊ प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविधि/परिषद् सम्बद्धता / 2020 / 1971

सम्बन्ध: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय झाप—:

अधिकल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली/फार्मेसी कारबिनेट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघिव सत्र 2020-21 हेतु डिल्लोना संघिव तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३०२० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक १४-९-२०२० को ३०२० प्राविधिक विकास परिषद्, ३०२० लखनऊ की जम्मूहता में परिषद् कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु बाबोदेत भई लखनाओं से सम्बद्धता/पूर्व से सचालित तत्त्वान्वयी को सम्बद्धता विस्तार/प्राविधिक/प्रवेश काली गुद्दि जाहिर अन्य बदी पर विचार करती हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त बी अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के गद-३ में डिल्लोना इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विवरण वार निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

“निजी क्लेन में स्थापित डिल्लोना इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३०२० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें गण्यात् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश कानून के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विवरण किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक १४-९-२०२० को आमुा सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न सम्बद्धता को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३०२० लखनऊ सत्र 2020-21 हेतु निम्नान्वित गती के अंदेन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश कानून हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संख्या कोड	संख्या का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता	पी०सी०आई० परिषद् द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश सम्बद्धता
१	४११६	पाइल डेव लाइफ शुल्क फार्मेसी और फार्मेसी अधिकार बुद्धिन गज़ फलामुर।	डिल्लोना इन फार्मेसी	८०	५०

सम्बद्धता हेतु गती

- ✓ संख्या पी०सी०आई०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी गती का पूर्णत प्रत्यक्ष करती।
- ✓ संख्या ७८८२ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं १९६२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विविधगतात्मकी-२०१८ द्वारा काला निर्मित नियमों एवं अधिकारों का अनुप्रयत्न करती तथा शुल्क नियंत्रण उन्नीति द्वारा निर्धारित शुल्क गती इनी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० ३०,१५०.००/- प्रतिशत, दो शर्तों फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० ४५,०००.००/- प्रतिशत एवं रज तक दो शर्तों पाठ्यक्रमों (दो शर्तों फार्मेसी पाठ्यक्रम के अंतरिक्ष) हेतु ₹० २२,५००

CH

www.english-test.net

www.foto-georg-pfeifer.de

2020-01

These positions include the same issues as the previous paragraphs, plus specific issues such as the right to privacy, the right to self-determination, the right to equality, and the right to freedom of expression. These issues are also reflected in the principles of the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, and the European Convention on Human Rights.

It is important to note that the term "public" refers to the general public, not to the government or its agencies.

第十七章

卷之三

www.eplis.net

卷之三

Some people do not like the idea of having to pay extra for their car to be repaired, but there are ways to reduce the cost of repairing your car.

1. From the 1999 edition there is no longer one set edition, because the new editions are
published every year.

✓ *Uma vez que temos certeza de que o nome é correto, devemos usar o nome da pessoa para nos referir a ela.*

I would like you to have a moment to reflect on the following statement and let me know what you think.

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Koenig at (412) 248-7141 or via email at koenig@cmu.edu.

卷之三

• २०१८ वर्षाचा

अधित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली कार्यालय करउनिसस ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक साल 2022-23 हेतु स्वोग्रा स्वतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपर्युक्त प्रातिक्रियक शिक्षा परिषद्, 3090 लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद् बायोलैब में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इक में समिति द्वारा साल 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से स्वाक्षित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यपत्रम् देख सम्मत पृष्ठ सहित अन्य मटों पर विचार करते हुए साल 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का जिम्मेदार सिया

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये विषयों के अनुक्रम में निम्न संस्थाएँ पारिचिक शिक्षा परिषद्, ३५ प्रा. लाइसेंस द्वारा सम्बद्धता समिति की बैठक में भागीदार यात्राक्रम एवं उसमें अविष्ट परेशी क्षमता है। सम्बद्धता समिति की जाती है-

PHARMACEUTICAL SCIENCES - 411A - PANDIT DEV NARAYAN SHUKLA COLLEGE OF PHARMACY

प्रसंग	पाठ्यक्रम का नाम	परिचय द्वारा सत्र 2022-23 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिचय द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

अन्वयिता रैत शर्ते

- ✓ संस्था ₹०.आई०सी०टी००५०/०१०२००३०००००००००००० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद फरवरी 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निपारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क टीज वर्षीय इन्डेंस पाठ्यक्रम में हेतु रुप. ३०,१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पार्मसी पाठ्यक्रम (हेतु रु. ४५,०००.००/- प्रतिवर्ष) एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमी (दो वर्षीय पार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. २२,५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फिर निपारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीस का फुलनिधारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दरें सार्व होंगी।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छार्जों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/विधमो/अधिनियमो/शासनादेशो/निर्देशो एवं नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ०५०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा-परिषद, उ०२० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०१० द्वारा बताये गये नियमों, विधमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
 - ✓ यदि संस्थान का ₹०.आई०सी०टी००५०/०१०२००३००००००००००००००० जो अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था वर होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विशेष यदि कोइ वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में ग्र. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।